उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-41/2017/1786/92-1-2017-8(अधि0)/2017

लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से कार्यालय-ज्ञाप संख्या-37/2017/1539/92-1-2017-8(अधि0)/2017, दिनांक 14-06-2017 के क्रमांक सं0-9 पर उल्लिखित श्री देवेन्द्र बालयान, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत का प्रखण्ड-कौशाम्बी किया गया स्थानांतरण निरस्त किया जाता है।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14-6-2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-41/2017/1786(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in